संख्या आडिट–2790 / दस–2012–300(2) / 12

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0,
नवाँ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2012

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के संबध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के संबध में दी गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन व्दारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–289 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 14–6–2012 के द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें संगठन में लेखा परीक्षा संवर्ग के उपलब्ध पदों पर निम्नवत व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) (i) लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान मे निर्धारित वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन सरचना मे सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800 / –) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की जायेगी।

(ii) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक वेतनमान रु0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200 / –) के पदो पर आने के लिये प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने संबधी शर्त को समाप्त किया जाता है। अन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

(iii) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रु0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600 / –) के स्थान पर संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान रु0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800 / –) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा।

....2.....

(iv) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 वेतनमान रु0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–)के पदों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में तत्काल प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

(v) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों को ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से शत–प्रतिशत पदोन्नति व्दारा भरा जायगा।

(vi) लेखा परीक्षक तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात मे विभाजित करते हुये कमशः लेखा परीक्षक तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की संख्या चिन्हित की जा रही है।

(2) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रवक्ता के पद पर वर्तमान मे अनुमन्य वेतनमान रु0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रु0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–) तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। कनिष्ठ प्रवक्ता का पद नाम वरिष्ठ प्रवक्ता किया जाता है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती व्दारा भरा जायेगा।

(3) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– के 11 पदों में से एक पद को संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/– में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया जाता है। इस प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते विभाग में संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 02 पद हो जायेंगे।

(4) संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– के 53 पदों में से 21 पदों को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया जाता है। इस प्रकार उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 31 पद हो जायेंगे। प्रधानाचार्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– में उपलब्ध 01 पद में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार उपलब्ध उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 31 पदों में से प्रत्येक मण्डल में एक–एक पद होंगे तथा शेष पदों का चिन्हांकन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायगा।

(5) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–के उपर्युक्त उप प्रस्तर–(2) के अनुसार वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– में उच्चीकृत 87 पदों तथा संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– के शेष 32 पदों का सम्मिलित संवर्ग बनाया जाता है तथा उक्तानुसार गठित सम्मिलित संवर्ग का पदनाम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी निर्धारित किया जाता है। उक्तानुसार पुर्नगठित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के उपलब्ध 119 पदों के तैनाती स्थल का चिन्हांकन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जायगा।

....3.....

(6) पूर्व उप प्रस्तर–5 के अनुसार पुर्नगठित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से पदोन्नति व्दारा तथा 50 प्रतिशत पदों पर वाणिज्य स्नातक उपाधि की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा भरा जायेगा। साथ ही उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदो पर संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सम्मिलित संवर्ग (नवगठित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी) के पद धारकों से पदोन्नति व्दारा भर्ती की जायगी।

(7) अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग तथा उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के पदों के ढ़ाचे (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) का स्वरुप, पूर्व उप प्रस्तरो में इंगित निर्णयों के आलोक मे निम्नानुसार होगा :–

कम संख्या	पदनाम/पदों की संख्या	वेतनमान(सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)(रु0में)	भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/01	16400–20000 वेतन बैण्ड–4 एवं 8900	मौलिक रुप से नियुक्त संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी और उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति व्दारा। परन्तु–यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के मौलिक रुप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों और उप निदेशकों में से जिन्होने ऐसे पदों पर कमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, या उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) के सदस्यों में से स्थानान्तरण व्दारा भरा जा सकता है।
2	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/ 02	12000–16500 वेतन बैण्ड–3 एवं 7600	मौलिक रुप से नियुक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के रुप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति व्दारा।

....4.....

3	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी / 31 प्रधानाचार्य / 01	10000–15200 वेतन बैण्ड–3 एवं 6600	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदधारकों से पदोन्नति व्दारा
4	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी / 119 प्रवक्ता / 04	8000–13500 वेतन बैण्ड–3 एवं 5400	50 प्रतिशत पद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी में से पदोन्नति व्दारा। 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा अर्हता–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
5	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / 255	7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4800)	पदोन्नति व्दारा (मौलिक रुप से नियुक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से)
6	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / 1307	5500–9000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4200	03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति व्दारा
7	लेखा परीक्षक / 436	4500–7000 (वेतन बैण्ड–1 एवं 2800)	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती व्दारा। अर्हता–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा।

(लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की कुल संख्या को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुये चिन्हित की गयी है।)

(8) फैजाबाद में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें के अन्तर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ के साथ समायोजित किया जाता है। उक्त व्यवस्था के उपरान्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें संगठन में सृजित प्रधानाचार्य ग्रेड वेतन रु0 6600 / –तथा वरिष्ठ प्रवक्ता ग्रेड वेतन रु0 5400 / –के पद इस संगठन मे ही बने रहेगें और पदधारको की तैनाती उक्तानुसार स्थापित पुर्नगठित प्रशिक्षण संस्थान में की जायगी।

2– उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने एवं उच्च ग्रेड वेतन में पदनामित होने के फलस्वरूप संबंधित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 (यथा संशोधित) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841 / दस–2009–59(एम) / 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

–5 / –

3— उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संबंधित सेवा नियमावली में यथा—शीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—वे0आ0—1—830 / दस—2012, दिनांक 30—10—2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव।

संख्या आडिट—2790(1) / दस—2012—300(2) / 12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 / 2, उ0प्र0 शासन को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 के पत्र संख्या—वे0आ0—289 / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 14 जून, 2012 के संदर्भ मे।
2— कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 शासन।
3— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।
4— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद।
5— निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6— निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
7— प्रभारी, एन0आई0सी0, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द नारायन मिश्र)
विशेष सचिव।